न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
165/2021	दावा 88 RTA	27.12.2021	21.06.2023

संतोष पुत्री स्व. पेमाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू

—वादी—

1. सावित्री देवी पत्नी स्व गिरधारीलाल जाति जाट निवासीनी ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील व जिला चूरू
2. मन्जेश कुमारी
3. योगेश कुमार
4. सुभिता

(2 से 4) पुत्र पुत्रियां स्वर्गीय गिरधारी लाल ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील व जिला चूरू

5. रामकुमार पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू
6. बडौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
7. ग्राम पंचायत घांघू जरिये सरपंच महोदय घांघू तहसील व जिला चूरू
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री [illegible] सिंह वादी
2. अधिवक्ता [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. अधिवक्ता गजेन्द्र खत्री प्रतिवादी संख्या 6
4. पैरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण संख्या 1 का पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का पिता गिरधारीलाल वादीनी का सगा भाई था जो अपने सगे चाचा मोटराम के गोद चला गया था। गिरधारीलाल का देहान्त हो चुका है। और स्वर्गीय पेमाराम का वंश वृक्ष निम्नानुसार है।

पेमाराम फौत

गिरधारी फौत पुत्र पेमाराम जो मोटा राम के गोद चला गया

रामकुमार पुत्र पेमाराम

संतोष पुत्री पेमाराम

सावित्री पत्नी गिरधारी

मन्जेश कुमारी पुत्री गिरधारी

योगेश कुमार पुत्र गिरधारी

सुमिता पुत्री गिरधारी

वादिनी एक बहिन व दो भाई है जिसमें उसका सगा भाई गिरधारीलाल अपने सगे चाचा मोटाराम के बचपन में ही 13 साल की आयु में ही गोद चला गया था और उनके पास बतौर पुत्र रहने लगा लेकिन गोंदनामा के लिखापढी करवाने से पहले ही उसके प्राकृतिक माता पिता का निधन होने से मुझ वादिनी की पैतृक कृषि भूमि में सवर्गीय गिरधारीलाल का विरासतन नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है जो आरम्भ से ही गलत और शुन्य है।

स्वर्गीय गिरधारीलाल अपने सगे चाचा श्री मोटाराम के अपने बचपन से ही दिनांक 13.06.1974 को जब 13 वर्ष का था तब वह गोद चला गया था लेकिन उसकी लिखा–पढी उसके प्राकृतिक माता की मृत्यु के बाद दिनांक 29.09.2017 को रजिस्टर्ड गोद पत्र द्वारा करवाई गई थी है उससे पहले ही उसके प्राकृतिक माता पिता की मृत्यु हो जाने से पहले उनकी सम्पति कृषि भूमि में विरासतन नाम दर्ज हो चुका था जो प्रारम्भ से ही शून्य और अवैध था क्योंकि एक गोद पुत्र का उसके गोद चले जाने से उसके प्रकृतिक माता पिता कि किसी भी सम्पति में कानूनन कोई हक–हकूक, अधिकार शेष नहीं [illegible] के समय ही समाप्त हो जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

यह कि स्वर्गीय पेमाराम [illegible] संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी [illegible] कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू की मे से स्वर्गीय गिरधारीलाल का 1/3 हिस्सा विरासतन नामान्तरण उसके दिनांक 13.06.1974 को अपने सगे चाचा श्री मोटाराम बाबल के गोद चले जाने से कानूनन शून्य और अवैध था जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या – 1से 4 उसके गोद लेने वाले पिता मोटाराम बाबल के घर पर ही निवास कर रहे है तथा उसकी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या –1190/314 तादादी 2.0740 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या–1192/324 तादादी 7.7143 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या– 325 तादादी 0.5818 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–03 की कुलजल तादादी 10.3701 हैक्टेयर रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील चूरू की का उपयोग, उपभोग, काश्त और धारण किये हुए है।

वदिनी अपने पिता द्वारा विरासतन प्राप्त कृषि भूमी खेत खसरा संख्या–1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा सिंख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या–315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–04 तादादी 10. 3701 हैक्टेयर कृषि भूमी रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू को धारण किये हुए है तथा मौके पर 1/2 हिस्से पर वादिनी का कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग है। उक्त कृषि भूमी पर स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का कोई भी दखल नहीं है लेकिन उनका राजस्व रिकॉर्ड सहखातेदार सामूहिक हिस्सा 1/3 हिस्सा दर्ज होने की वजह से संशोधन करवाना जरूरी हो गया है। गिरधारीलाल का देहान्त हो जाने की वजह से उक्त कृषि भूमि विरासतन नामान्तरण उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या– 1 ता 4 के नाम दर्ज हो गया है जिसमें संशोधन करवा, रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाना अतिआवश्यक हो गया है।

नामान्तरण संख्या–4 दिनांकित 05.01.2002 वादीनी की अनुपस्थिति में दर्ज व तस्दीक किया गया है, जिसकी बाबत वादीनी को पहले कोई जानकारी नहीं थी वादीनी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रडिट कार्ड बनवाने हेतु ई–मित्र से अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी निकलवाई तो उसे पता चला कि उसका सगा भाई जो उसके चाचा मोटाराम बाबल के दिनांक 13.06.1974 के 13 वर्ष की आयु में अपने प्रकृतिक माता–पिता के जीवनकाल में ही गोद चले जाने से वादीनी के पिता स्वर्गीय पेमाराम की कृषि भूमी में से किसी भी प्रकार का कोई हक स्सिा नहीं रखता है इसलिए नामान्तरण संख्या 04 दिनांकित 05.01.2002 कानूनन शून्य और अवैध था जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1–4 को उक्त कृषि भूमी के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु बार–बार टाल–मटोल करते रहे लेकिन दिनांक 15.12.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु जोर देने पर स्पष्टतया इनकार हो गये, जिससे वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है जो कि दावा का वादकारण है। वादिनी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाये जाने हेतु एवं राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु यह दावा माननीय न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत करना आवयश्यक हो गया है, इसलिए हस्तगत दावा माननीय न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या –8 वादग्रस्त कृषि भूमि धारण करने के कारण दावा में किसी भी प्रकार का कोई नुक्श न रह जावे इसलिए प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है, इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया जाकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि विधि अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है और पूर्ण रूप से पोषणीय है क्योंकि वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 के विरूद्ध कोई ऐसा अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उसके अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो बल्कि प्रतिवादी संख्या–8 एक औपचारिक पक्षकार है और राजस्व और राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियां उक्त प्रतिवादी संख्या –8 के माध्यम से ही दर्ज की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1–5 के मध्य दिनांक 17.12.2021 को वादकारण उत्पन्न हो जाने के कारण हस्तगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वादीनी को स्वर्गीय पेमाराम के विधिक उतराधिकारी होने की वजह से हस्तगद दावा लाने का वादाधार प्राप्त है। इसलिए वादीनी की और से दावा अंदर मियाद उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से दावा श्रवणाधिकार माननीया न्यायाल को प्राप्त है।

अतः दावा वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि दावा वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्नानुसा डिकी फरमाया जावे–

(क) घोषित किया जावे कि खसरा संख्या खसरा संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10. 3701 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू की गिरधारीलाल के अपने सगे चाचा मोटाराम बाबल के दिनांक 13.06.1974 को गोद चले से रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 29. 09.2017 स्वर्गीय पेमाराम के एक मात्र विधिक उतराधिकारीगण हम वादिनी व प्रतिवादी सं. 5 रामकुमार होने से उक्त कृषि भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 5 का 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का 1/3 हिस्सा डिलिट किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण दौराने दावा हो जावे या माननीय न्यायालय प्रदान करना उचित समझे तो वह प्रदान किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने दर्ज दजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता योगेश शर्मा ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया । प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र खत्री ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए कार्यवाही की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 पर विधिवत तामील होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये गये तत् पश्चात् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

दावा में वादीनी की ओर से निवेदन किया गया है कि वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण संख्या 1 का पति व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का पिता गिरधारीलाल वादीनी का सगाा भाई था जो अपने सगे चाचा मोटराम के गोद चला गया था। गिरधारीलाल का देहान्त हो चुका है। और स्वर्गीय पेमाराम का वंश वृक्ष निम्नानुसार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)
उपखण्ड अधि...
चूरू

पेमाराम फौत

गिरधारी फौत पुत्र पेमाराम जो मोटा राम के गोद चला गया

रामकुमार पुत्र पेमाराम

संतोष दवी पुत्री पेमाराम

सावित्री पत्नी गिरधारी

मन्जेश कुमारी पुत्री गिरधारी

योगेश कुमार पुत्र गिरधारी

सुभिता पुत्री गिरधारी

वादिनी एक बहिन व दो भाई है जिसमें उसका सगाा भाई गिरधारीलाल अपने सगे चाचा मोटाराम के बचपन में ही 13 साल की आयु में ही गोद चला गया था और उनके पास बतौर पुत्र रहने लगा लेकिन गोंदनामा के लिखापढी करवाने से पहले ही उसके प्राकृतिक माता पिता का निधन होने से मुझ वादिनी की पैतृक कृषि भूमि में सवर्गीय गिरधारीलाल का विरासतन नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है जो आरम्भ से ही गलत और शुन्य है।

स्वर्गीय गिरधारीलाल अपने सगे चाचा श्री मोटाराम के अपने बचपन से ही दिनांक 13.06.1974 को जब 13 वर्ष का था तब वह गोद चला गया था लेकिन उसकी लिखा–पढी उसके प्राकृतिक माता की मृत्यु के बाद दिनांक 29.09.2017 को रजिस्टर्ड गोद पत्र द्वारा करवाई गई थी है उससे पहले ही उसके प्राकृतिक माता पिता की मृत्यु हो जाने से पहले उनकी सम्पति कृषि भूमि में विरासतन नाम दर्ज हो चुका था जो प्रारम्भ से ही शून्य और अवैध था क्योंकि एक गोद पुत्र का उसके गोद चले जाने से उसके प्रकृतिक माता पिता कि किसी भी सम्पति में कानूनन होई हक–हकूत, अधिकार शेष नहीं रहता है उकसे गोद चले जाने के समय ही समाप्त हो जाते है।

यह कि स्वर्गीय पेमाराम की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू की मे से स्वर्गीय गिरधारीलाल का 1/3 हिस्सा विरासतन नामान्तरण उसके दिनांक 13.06.1974 को अपने सगे चाचा श्री मोटाराम बाबल के गोद चले जाने से कानूनन शून्य और अवैध था जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने 5योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान प्रतिवादीगण [illegible] – 1से 4 उसके गोद लेने वाले पिता मोटाराम बाबल के घर पर ही [illegible] उसकी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या –1190/314 तादादी 2.0740 हैक्टेयर, खेत खसरा [illegible]ख्या–1192/324 तादादी 7.7143 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या– 325 तादादी 0.5818 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–03 की कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील चूरू की का उपयोग, उपभेग, काश्त और धारण किये हुए है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वदिनी अपने पिता द्वारा विरासतन प्राप्त कृषि भूमी खेत खसरा संख्या–1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा सिंख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या–315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–04 तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमी रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू को धारण किये हुए है तथा मौके पर 1/2 हिस्से पर वादिनी का कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग है। उक्त कृषि भूमी पर स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का कोई भी दखल नहीं है लेकिन उनका राजस्व रिकॉर्ड सहखातेदार सामूहिक हिस्सा 1/3 हिस्सा दर्ज होने की वजह से संशोधन करवाना जरूरी हो गया है। गिरधारीलाल का देहान्त हो जाने की वजह से उक्त कृषि भूमि विरासतन नामान्तरण उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या– 1 ता 4 के नाम दर्ज हो गया है जिसमें संशोधन करवा, रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाना अतिआवश्यक हो गया है।

नामान्तरण संख्या–4 दिनांकित 05.01.2002 वादीनी की अनुपस्थिति में दर्ज व तस्दीक किया गया है, जिसकी बाबत वादीनी को पहले कोई जानकारी नहीं थी वादीनी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रडिट कार्ड बनवाने हेतु ई–मित्र से अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी निकलवाई तो उसे पता चला कि उसका सगा भई जो उसके चाचा मोटाराम बाबल के दिनांक 13.06.1974 को 13 वर्ष की आयु में अपने प्राकृतिक माता–पिता के जीवन काल में ही अपने चाचा मोटाराम के गोद चले जाने से वादीनी के पिता स्वर्गीय पेमाराम की कृषि भूमी में से किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं रखता है इसलिए नामान्तरण संख्या 04 दिनांकित 05.01.2002 कानूनन शून्य और अवैध था जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1–4 को उक्त कृषि भूमी के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु बार–बार टाल–मटोल करते रहे लेकिन दिनांक 15.12.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु जोर देने पर स्पष्टतया इनकार हो गये, जिससे वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है जो कि दावा का वादकारण है। वादिनी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाये जाने हेतु एवं राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु यह दावा माननीय न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत करना आवयश्यक हो गया है, इसलिए हस्तगत दावा माननीय न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या –8 वादगत कृषि भूमी धारक होने के कारण दावा में किसी भी प्रकार का कोई नुक्श न रह जावे इसएिल बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है, इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया जाकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि विधि अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है और पूर्ण रूप से पोषणीय है क्योंकि वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 के विरूद्ध कोई ऐसा अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उसके अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो बल्कि प्रतिवादी संख्या–8 एक औपचारिक पक्षकार है और राजस्व और राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियां उक्त प्रतिवादी संख्या –8 के माध्यम [illegible] की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी व प्रतिवादीगण सं[illegible] के मध्य [illegible]क 17.12.2021 को वादकारण उत्पन्न हो जाने के कारण हस्तगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वादीनी को स्वर्गीय पेमाराम के विधिक उतराधिकारी होने की वजह से हस्तगद दावा लाने का वादाधार प्राप्त है। इसलिए वादीनी की और से दावा अंदर मियाद उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से दावा श्रवणाधिकार माननीया न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः दावा वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि दावा वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्नानुसा डिकी फरमाया जावे–

घोषित किया जावे कि खसरा संख्या खसरा संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू की गिरधारीलाल के अपने सगे चाचा मोटाराम बाबल के दिनांक 13.06.1974 को गोद चले से रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 29.09.2017 स्वर्गीय पेमाराम के एक मात्र विधिक उतराधिकारीगण हम वादिनी व प्रतिवादी सं. 5 रामकुमार होने से उक्त कृषि भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 5 का 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का 1/3 हिस्सा डिलिट किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत कर दावा के मद संख्या 1 ता 4 स्वीकार किया जाकर निवेदन किया है कि स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या – 1से 4 उसके गोद लेने वाले पिता मोटाराम बाबल के घर पर ही निवास कर रहे है तथा उसकी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या –1190/314 तादादी 2.0740 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या–1192/324 तादादी 7.7143 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या– 325 तादादी 0.5818 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–03 की कुलजल तादादी 10.3701 हैक्टेयर रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील चूरू की का उपयोग, उपभेग, काश्त और धारण किये हुए है। वदिनी व प्रतिवादी संख्या अपने पिता द्वारा विरासतन प्राप्त कृषि भूमी खेत खसरा संख्या–1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा सिंख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या–315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–04 तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमी रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू को धारण किये हुए है तथा मौके पर 1/2 हिस्से पर वादिनी का कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग है। उक्त कृषि भूमी पर स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का कोई भी दखल नहीं है लेकिन उनका राजस्व रिकॉर्ड सहखातेदार सामूहिक हिस्सा 1/3 हिस्सा दर्ज होने की वजह से संशोधन करवाना जरूरी हो गया है। गिरधारीलाल का देहान्त हो जाने की वजह से उक्त कृषि भूमि विरासतन नामान्तरण उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या– 1 ता 4 के नाम दर्ज हो गया है व दावा के मद संख्या 7 ता 10 को स्वीकार किया गया है। तथा निवेदन किया गया है कि स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादीनी द्वारा प्रस्तुत दावा में चाहे गये अनुतोष को श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा दिये जाने में कोई आपति नहीं है बल्कि पूरी सहमति है।

प्रतिवादी संख्या 6 ने बैंक के हित को सुरक्षित रख कर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने पर अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 7 के वि[illegible] पक्षीय कार्यवाही की जा चूकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों में गोदनामा प्रदर्श गिरधारीलाल के 30.06.1974 को सम्पूर्ण रस्म के साथ उसके प्राकृतिक माता–पिता द्वारा मोटाराम को गोद दिये जाने व प्रकृतिक माता पिता को त्याग कर गोद ग्रहीत माता पिता के साथ निवास करने का अंकित किया गया है तथा गोदनामा रजिस्टर्ड दिनांक 29.09.2017 है प्रदर्श आर. 01 नामान्तरण करण ग्राम जसवन्तपुरा खसरा नम्बर 314, 315, 324, 325 में मघी बेवाह पेमाराम, गिरधारीलाल, रामकुमार, संतोष के विरसतन नामान्तरण दर्ज है प्रदर्श पी –2 जमाबंदी ग्राम जसवन्तपुरा ग्राम जसवंतपुरा सम्वत– 2061 में खसरा नम्बर 314,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधि...
चूरू

315, 324, 325 में मघी बेवाह पेमाराम व गिरधारीलाल, रामकुमार, संतोष पुत्र पुत्रियां पेमाराम जाति जाट सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श पी–3 नामान्तरण करण ग्राम जसवन्तपुरा सम्वत् 2057 –60 खसरा संख्या 311 व 312 में मघी बेवाह पेमाराम व गिरधारीलाल, रामकुमार, संतोष पुत्र पुत्रियां पेमाराम जाति जाट सहखातेदार दर्ज है प्रदर्श पी –4 स्वीकृत नामान्तरण ग्राम जसवंतपुरा खसरा संख्या 311, 312 व 314, 315, 324, 325 में मघी बेवाह पेमाराम व गिरधारीलाल, रामकुमार, संतोष पुत्र पुत्रियां पेमाराम जाति जाट सहखातेदार दर्ज है प्रदर्श पी– 5 जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम जसवंतपुरा खसरा संख्या 1188/311, 1189/314, 312, 315 में रामकुमार पुत्र पेमाराम राहिन बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघू, संतोष दवी पुत्री पेमाराम, सावित्री पत्नी गिरधारी, मन्जेश कुमारी पुत्री गिरधारी, योगेश कुमार पुत्र गिरधारी, सुभिता पुत्री पेमाराम दर्ज है। बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने बहस में दावा व इकबाल दावा में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि स्वर्गीय पेमाराम की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू की मे से स्वर्गीय गिरधारीलाल 13.06.1974 को अपने सगे चाचा श्री मोटाराम बाबल के गोद चला गया था लेकिन उसकी लिखा–पढी उसके प्राकृतिक माता की मृत्यु के बाद दिनांक 29.09.2017 को रजिस्टर्ड गोद पत्र द्वारा करवाई गई थी है उससे पहले ही उसके प्राकृतिक माता पिता की मृत्यु हो जाने से पहले उनकी सम्पति कृषि भूमि में विरासतन नाम दर्ज हो चुका था जो प्रारम्भ से ही शून्य और अवैध था क्योंकि एक गोद पुत्र का उसके गोद चले जाने से उसके प्रकृतिक माता पिता कि किसी भी सम्पति में कानूनन कोई हक–हकूक, अधिकार शेष नहीं रहता है उसके गोद चले जाने के समय ही समाप्त हो जाते है। प्रतिवादीगण ने उक्त वाद में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं कर अपनी सहमति जताई है। स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या – 1से 4 उसके गोद लेने वाले पिता मोटाराम बाबल के घर पर ही निवास कर रहे है तथा उसकी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या –1190/314 तादादी 2.0740 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या–1192/324 तादादी 7.7143 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या– 325 तादादी 0.5818 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या–03 की कुल तादादी 10. 3701 हैक्टेयर रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील चूरू की का उपयोग, उपभोग, काश्त और धारण किये हुए है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालनामा तथा वादीगण के इकबाल दावा के आधार पर दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमी खसरा संख्या खसरा संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का 1/3 हिस्सा डिलिट किया जाकर स्वर्गीय पेमाराम के मात्र विधिक उतराधिकारीगण वादिनी व प्रतिवादी सं. 5 रामकुमार होने से उक्त कृषि भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। रामकुमार की जितने हैक्टेयर भूमि रहन है उतने हैक्टेयर भूमि बैंक के यथावत रहन रहेगी। वादीनी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई तथ्य छुपाया है तो समस्त जिम्मेवारी वादीनी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

संतोष पुत्री स्व. पेमाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू

–वादी–

1. सावित्री देवी पत्नी स्व. गिरधारीलाल जाति जाट निवासीनी ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील व जिला चूरू
2. मन्जेश कुमारी
3. योगेश कुमार
4. सुभिता

(2–4) पुत्र पुत्रियां स्वर्गीय गिरधारी लाल ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील व जिला चूरू

5. रामकुमार पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू
6. बडौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू
7. ग्राम पंचायत घांघू जरिये सरपंच महोदय घांघू तहसील व जिला चूरू
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 165 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवनसिह एवं विरेन्द्र सिंह एडवोकेट्स वादीगण मिनजानिब मुदई व योगेश शर्मा प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

अत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं प्रतिवादीगण के इकबाल दावा के आधार पर दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर [illegible] वादगत कृषि भूमी खसरा संख्या खसरा संख्या– 1188/311 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189/314 तादादी 0.5565 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 312 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या –315 तादादी 4.5021 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 04 कुल तादादी 10.3701 हैक्टेयर [illegible] भूमि रही ग्राम जसवन्तपुरा तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान का 1/3 हिस्सा डिलिट किया जाकर स्वर्गीय पेमाराम के मात्र विधिक उतराधिकारीगण वादिनी व प्रतिवादी सं. 5 रामकुमार होने से उक्त कृषि भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। रामकुमार की जितने हैक्टेयर भूमि रहन है उतने हैक्टेयर भूमि बैंक के यथावत रहन रहेगी। वादीनी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई तथ्य छुपाया है तो समस्त जिम्मेवारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह जून सन् 2023 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(उगमसिंह राजपुरोहित)

उपखण्ड अधिकारी,

चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested